

# कार्यालय जिला परिषद, मधेपुरा

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद कि निम्नांकित सैरातों की बन्दोवस्ती वर्ष 2016-17 के लिये दिनांक 08.01.2016 (शुक्रवार) को 12:00 बजे पूर्वाह्न में जिला परिषद, मधेपुरा के कार्यालय में होगी। उक्त तिथि को बन्दोवस्ती नहीं होने पर पुनः दिनांक 19.01.2016 (मंगलवार) को 12:00 बजे पूर्वाह्न में की जायगी। उक्त तिथि को भी बन्दोवस्ती नहीं होने पर पुनः दिनांक 29.01.2016 (शुक्रवार) को 12:00 बजे पूर्वाह्न में की जायगी। डाक में भाग लेने के लिये डाक शुरु होने से एक घंटा पूर्व ही सुरक्षित जमा राशि का 10% नगद अथवा डी.डी. जमा करना अनिवार्य होगा। डाक वक्ता को सर्वोच्च डाक की राशि डाक सपन्न होने के साथ ही निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क के साथ एक मुस्त राशि जमा करना होगा, एवं गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विहित शर्तों के अधीन एकरारनामा तामिल करना होगा।

बन्दोवस्त की राशि का बैंकर्स/डी.डी. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधेपुरा के पद नाम से जमा करना होगा।

क्र०	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	क्र०	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि
01	बस पड़ाव, सिंहेश्वर	1040024/-	16	उदाकिशुनगंज महुआ गाछी सड़क संख्या एम-39 के डायभरसन रोड की जमीन	4000/-
02	बस पड़ाव, मधेपुरा	1125888/-	17	सड़क संख्या 19 में टोका मोईन गम्हरिया का जलकर	8000/-
03	बस पड़ाव, आलमनगर	598000/-	18	सिंहेश्वर सड़क संख्या - 19 जक्सन के पश्चिम की जमीन	5000/-
04	निरीक्षण भवन, मधेपुरा का फलकर	17825/-	19	सड़क संख्या-18 विरैली बाजार की रोड साईड की दोनों तरफ की जमीन	3000/-
05	कुमारखंड शौचालय	8000/-	20	बभनगामा अरगरा की जमीन	1500/-
06	बस पड़ाव, मधेपुरा का शौचालय	39000/-	21	रोड नं० एम-12 स्थित डायभरसन की जमीन	1500/-
07	सिंहेश्वर अवस्थित शौचालय	17000/-	22	पोखराम अस्पताल की जमीन	3000/-
08	भिरखी, मधेपुरा अरगरा की जमीन	5000/-	23	सड़क संख्या एम-7 सरोपट्टी डायभरसन की जमीन	4000/-
09	सड़क सं० 18 में 75-76 कि०मी० तक की कृषि योग्य जमीन	5000/-	24	सड़क संख्या-40 में अवस्थित भरही नहर तक जिला परिषद की जमीन	2000/-
10	सड़क सं०-एम-9 गणेश स्थान से डायभरसन सड़क की 01वी० 3क० कृषि योग्य जमीन।	3000/-	25	बेलारी स्थित जिला परिषदीय सड़क किनारे की कृषि योग्य जमीन	5000/-
11	आयुर्वेदिक औषधालय भतरंधा की कृषि योग्य जमीन।	2000/-	26	महेशुआ से रायभीर जाने वाली सड़क किनारे की कृषि योग्य जमीन	5000/-
12	मीरगंज डाकबंगला की कृषि योग्य जमीन।	2000/-	27	प्रसादी चौक में अवस्थित जिला परिषद की जमीन	5000/-
13	सड़क सं०-18 से 70-71 कि०मी० कुशहा रानीपट्टी की कृषि की जमीन	5000/-	28	सड़क संख्या -19 कटैया, सिंहेश्वर में डायभरसन रोड की जमीन	5000/-
14	सड़क संख्या एम-12 स्थित डायभरसन की जमीन पोखर तक	2000/-	29	बिहारीगंज सड़क संख्या एम- 39 के डायभरसन रोड की जमीन	1000/-
15	सड़क संख्या एम-9 चकला चौक के डायभरसन की जमीन	1000/-	30	सड़क संख्या 19 में जीवछपुर में डायभरसन रोड के कृषि योग्य जमीन	1500/-

इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं। सर्वोच्च डाक वक्ता यदि डाक की राशि तत्काल जमा नहीं करेंगे तो जमानत की राशि जब्त कर ली जायगी एवं अगले डाक में वे भाग नहीं ले सकते हैं।

किसी भी सैरात की निलामी को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

10-12-2015  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जिला परिषद, मधेपुरा।

ज्ञापांक 730 / दिनांक 10.12.15 /

- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/आरक्षी अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।  
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को एन.आई.सी. के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं सभी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/अनुरोध है कि सूचनापट्ट पर प्रकाशन हेतु चिपका दिया जाय।  
 प्रतिलिपि :- गत तीन वित्तीय वर्ष के बीडरों को सूचनार्थ प्रेषित।

10.12.2015  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जिला परिषद, मधेपुरा।

ज्ञापांक 730 / दिनांक 10.12.15 /

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सहरसा एवं सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित एवं सर्वसाधारण इच्छुक व्यक्तियों के लिये अपने कार्यालय अवस्थित सूचना पट पर चिपकाने की कृपा की जाय।

10-12-15

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जिला परिषद, मधेपुरा।

ज्ञापांक 230 / दिनांक 10.12.15 /

प्रतिलिपि :- सम्पादक, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, भागलपुर एवं प्रभात खबर, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि वे दैनिक सामाचार पत्र में एक दिन के लिये विज्ञापन का प्रकाशन किया जाय। विपत्र भुगतान हेतु अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में विपत्र भेजा जाय।

10.12.15

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जिला परिषद, मधेपुरा।

20.12.15

057